भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3776

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: खाद्यान्न की कमी

3776. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण देश में खाद्यान्न की कमी होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपनी प्रमुख नेटवर्क परियोजना, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) के अंतर्गत भारत में 33 वैश्विक जलवायु मॉडलों का उपयोग करके मौसमी जलवायु परिवर्तन अनुमान लगाए हैं। इन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अनुकूलन और शमन उपायों को न अपनाने पर, वैश्विक तापमान वृद्धि से कृषि उपज में कमी आने की संभावना है।

सरकार ने देश में कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क प्रदान करती है। एनएपीसीसी के तहत राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है, जो बदलती जलवायु के लिए कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को कार्यान्वित करता है। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए एनएमएसए के तहत कई स्कीमें भी शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम, मृदा स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करती है। समेकित बागवानी विकास मिशन,

कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल न होने के एवज में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान कुल 2900 किस्में जारी की हैं। इनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति अनुकूल हैं। इन 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजना (डीएसीपी) भी तैयार की गई हैं ताकि मौसम संबंधी उतार-चढ़ाव से निपटा जा सके और राज्य के कृषि विभागों द्वारा उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों और किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की जा सके। किसानों द्वारा अपनाने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 151 जलवायु संवेदनशील जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। आईसीएआर अपनी एनआईसीआरए परियोजना के माध्यम से किसानों के बीच कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करता है। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाया जा सके।

*****